

**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, चम्पावत ।**

फौ0वा0सं0 171 / 2022

राज्य प्रति मदन मोहन जोशी

धारा-192,196,एमवीएक्ट ।

थाना-चम्पावत ।

**22.03.2023**

अभियुक्त मदन मोहन जोशी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र मय मूल आर0सी0 एवं इंश्योरस कागजात न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिनकी छायाप्रति चालान में संलग्न है। जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र की स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा-192 एवं धारा 196 एमवीएक्ट में कुल 100/-रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। जुर्माना न्यायालय में जमा किया गया।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(जहां आरा अन्सारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज  
चम्पावत ।